संख्याः 1294/आठ–1–18–106विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **आवास आयुक्त,** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2– **समस्त उपाध्यक्ष,** विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

3– **समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी,** औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

4– **अध्यक्ष,** समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

5– **नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,** समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक20 जुलाई, 2018

विषय :प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018–2021) के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018–2021) के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1132/आठ–1–18–106विविध/2018 दिनांक 12 जुलाई, 2018 द्वारा संशोधित नीति निर्गत की गयी है, जिसके अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं का चयन कर योजनान्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण कराया जाना है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के अन्तर्गत पूर्व में आवास बन्धु, उ0प्र0 द्वारा निविदा आमंत्रित कर निजी विकासकर्ताओं के चयन किये जाने की कार्यवाही की जा रही थी, जिसमें आ रही कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण सम्यक विचारोपरान्त निजी विकासकर्ताओं के चयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(1) विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु विकास प्राधिकरणों का समूह बनाया गया है, जिसमें कतिपय विकास प्राधिकरण को

नोडल प्राधिकरण का दायित्व सौंपा गया है, जो अन्य विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र हेतु भी निविदा आमंत्रित कर, निजी विकासकर्ताओं का चयन करेंगे। विकासकर्ता चयन के उपरान्त अन्य कार्यवाही सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से ही की जायेगी। **नोडलवार/प्राधिकरणवार विवरण साथ में संलग्न है।**

(2) उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र के बाहर तथा आद्योगिक विकास क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के समस्त क्षेत्र हेतु निजी विकासकर्ताओं से निविदा आमंत्रित कर निजी विकासकर्ताओं का चयन किया जायेगा। ऐसे क्षेत्र जो उ0प्र0 आवास विकास परिषद के अधीन वर्तमान में नहीं है, नीति के प्रस्तर–3.1 के अन्तर्गत परिषद द्वारा कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखीय है कि शासनादेश संख्या–1286/आठ–1–2018–08विविध/16 दि0 20 जुलाई, 2018 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को सभी जनपदों में इस योजना के अन्तर्गत 03 वर्षों में भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य के लिए भूमि की आवश्यकता का आंकलन कर निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

(3) समस्त औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं से निविदा आमंत्रित कर, निजी विकासकर्ताओं का चयन कर, आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(4) अभिकरणों द्वारा आवास बन्धु के माध्यम से तैयार कराये गये मॉडल आर.एफ.क्यू.–कम–आर.एफ.पी. को प्रधानमंत्री आवास योजना नीति के शर्तो का ध्यान में रखते हुए, स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित कर, प्रथम निविदा एक सप्ताह के अन्दर आमंत्रित की जायेगी, यदि लक्ष्यों की पूर्ति प्रथम बार में सुनिश्चित न हो तो उस दशा में द्वितीय निविदा प्रथम निविदा आमंत्रण तिथि से तीन माह बाद तथा तद्नुसार तृतीय निविदा द्वितीय निविदा आमंत्रण की तिथि से तीन माह बाद आमंत्रित की जायेगी।

(5) निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवासों के आफर प्राप्त होने पर निविदा स्वीकृत कर सकते हैं।

(6) प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग–इन–पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018–2021) की नीति के प्रस्तर–11 में योजना के कियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण, कियान्वयन उत्पन्न

कठिनाईयों का निवारण, निजी विकासकर्ताओं की समस्याओं तथा आवंटियों/केताओं की शिकायतों के समाधान हेतु अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। अतः सम्बन्धित मण्डलायुक्तों से अपेक्षा है कि निविदा प्रकिया एवं योजना की प्रगति का अनुश्रवण प्रत्येक सप्ताह करते हुए, सूचना आवास बन्धु, उ0प्र0 को प्रेषित करेंगे।

(7) योजना के सम्यक अनुश्रवण का कार्य आवास बन्धु, उ0प्र0 द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा तथा योजना के कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण कराया जायेगा।

(8) योजना से सम्बन्धित अन्य समस्त कार्यवाही शासनादेश संख्या–1132/आठ–1–18–106विविध/2018 दिनांक 12 जुलाई, 2018 द्वारा नीति के अनुसार की जायेगी।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांकः तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
2– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
6– निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
7– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
8– निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0।
9– समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं से निविदा आमंत्रित कर निजी विकासकर्ताओं का चयन हेतु नोडलवार/प्राधिकरण विवरण

क्र.सं.	विकास प्राधिकरण/नोडल विकास प्राधिकरण	प्राधिकरण विकास क्षेत्र
1.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	गाजियाबाद
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण	लखनऊ
3.	कानपुर विकास प्राधिकरण	कानपुर
4.	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	इलाहाबाद
5.	आगरा विकास प्राधिकरण	आगरा, फिरोजाबाद
6.	मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण	मथुरा–वृन्दावन
7.	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	मुरादाबाद,
8.	हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण	हापुड़–पिलखुआ
9.	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	अलीगढ़
10.	बरेली विकास प्राधिकरण	बरेली, रामपुर
11.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर, खुर्जा
12.	मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ, बागपत
13.	वाराणसी विकास प्राधिकरण	वाराणसी, मिर्जापुर, शक्तिनगर
14.	उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण	उन्नाव–शुक्लागंज, रायबरेली
15.	झांसी विकास प्राधिकरण	झांसी, उरई तथा बांदा, चित्रकूट
16.	सहारनपुर विकास प्राधिकरण	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर,
17.	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	गोरखपुर, कुशीनगर, कपिलवस्तु
18.	अयोध्या–फैजाबाद	अयोध्या–फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़